5/ग्राम/2384/2016

1759
04-3-2016
संख्या:649/33–3–2015–110/2012

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक: 04 मार्च ~~फरवरी~~, 2016

विषय:स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश में आंशिक संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–195/33–3–2015–110/2012 दिनांक 06 फरवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या–173/33–3–2016–110/2012 दिनांक 19 जनवरी, 2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्याः **S-11011/1/2015-SBM** दिनांक 10 नवम्बर, 2015 द्वारा फण्डिंग पैटर्न में संशोधन एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश की तैनाती की गयी है। जिसके फलस्वरूप उक्त शासनादेश दिनांक 06.02.2015 में उल्लिखित निम्नलिखित प्रस्तरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

(एस० एन० सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायतीराज उ०प्र०।

प्रस्तर–11.4: राज्य स्तर पर राज्य स्वच्छता परियोजना प्रबंधन इकाई (एस0एस0पी0एम0यू0) का गठन किया जायेगा, जिसमें मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0 होंगे तथा उनके नियंत्रणाधीन राज्य स्वच्छता परियोजना प्रबंधन इकाई (एस0एस0पी0एम0यू0) कार्य करेगी, जिसका ढ़ॉचा निम्नवत होगा:–

- स्टेट कोआर्डिनेटर/स्टेट नोडल आफिसर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) –शासन द्वारा नामित पंचायतीराज विभाग का अधिकारी

कन्सल्टेन्ट

• आई0ई0सी0	—	1
• एच0आर0डी0/क्षमता संवर्धन	—	1
• अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	—	1
• एस0एल0डब्लू0एम0	—	1
• एम0आई0एस0	—	1
• लेखाकार	—	1
• योजना सहायक	—	1
• डाटा इन्ट्री आपरेटर	—	4

4820
उप निदेशक (पं०)(एस०)
निदेशक
4/3/16

• अन्य सहायक

राज्य स्तर पर तैनात कन्सल्टेन्ट/अन्य कार्यरत कर्मियों का मानदेय, यात्रा भत्ता एवं अन्य समस्त व्यय राज्य स्तर पर उपलब्ध प्रशासनिक मद से किया जायेगा। पूर्व में राज्य स्तर कार्यरत स्टेट कोआर्डिनेटर अब स्टेट कन्सलटेन्ट कहें जायेंगे।

प्रस्तर–12.3 गठित शीर्ष समिति को संशोधित करते हुए निम्नलिखित रूप से पुनर्गठित समझा जाये:–

शीर्ष समिति के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन होगें और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा प्रमुख सचिव, पंचायती राज इस समिति के नोडल सचिव एवं संयोजक होंगे और यह समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी:–

क्र.	पदनाम	शीर्ष समिति में स्तर
1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य सचिव
4	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, सूचना, उ0प्र0 शासन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
12	स्वच्छता क्षेत्र में कार्य कर रही अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	विशेष आमंत्री

प्रस्तर–12.4 कार्यकारी समिति (**Executive Committee**)

मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश इस समिति के पदेन अध्यक्ष होगें यह समिति स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कियान्वयन का अनुश्रवण एवं निगरानी करेंगी तथा राज्य एवं जिले स्तर पर विभिन्न विभागों से ताल–मेल कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व समिति का होगा। राज्य स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्धन के कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किये जायेंगे। राज्य स्तर पर खोले गये खाते का संयुक्त संचालन मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति स्टेट सैनीटेशन मिशन तथा नोडल आफिसर/स्टेट कोआर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)/ सदस्य सचिव, स्टेट सैनीटेशन मिशन द्वारा किया जायेगा–

क्र. सं.	पदनाम	कार्यकारी समिति में स्तर
1	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	अपर आयुक्त कार्यक्रम, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	अपर निदेशक, मेडिकल केयर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7	अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9	महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
10	अपर निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	राज्य नोडल आफिसर/स्टेट कोआर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
12	अध्यक्ष द्वारा नामित स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ	विशेष आमंत्री

प्रस्तर–13: गवर्निंग बाडी **(Governing Body)**

प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु क्रियान्वयन एवं गवर्निंग बाडी होगी, जो कार्यक्रम के संबंध में सुझाव एवं मार्गदर्शन शीर्ष समिति एवं कार्यकारी समिति को समय–समय पर देगी।

इस समिति के अध्यक्ष, मा0 मंत्री पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन तथा सदस्य सचिव, मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश होंगे, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे और यह समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी:–

क्र.	पदनाम	संचालन समिति में स्तर
1	मा0 मंत्री पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
4	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	नोडल आफिसर/स्टेट कोआर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	सदस्य
6	अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	विशेष आमंत्री

प्रस्तर–21: संशोधित फंडिंग पैटर्न

क. सं.	घटक / परियोजना, से संबंधित कार्यकलाप का विवरण	परियोजना में योजना संबंधित परिव्यय का प्रतिशत	अंशदान का विवरण		
			केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी सामुदायिक अंश
1	आई0ई0सी0 स्टार्ट अप एक्टीवीटीज और क्षमता संवर्धन	कुल परियोजना लागत का 8% जिसमें कि 3% केन्द्र पर तथा 5% राज्य पर	60%	40%	0%
2	रिवाल्विंग फण्ड **(Revolving Fund)**	5% सीमा तक	60%	40%	0%
3	व्यक्तिगत शौचालय	पूर्ण आच्छादन हेतु आवश्यक वास्तविक धनराशि	रू0–7,200 (60%)	रू0–4,800 (40%)	0%
4	सामुदायिक शौचालय	पूर्ण आच्छादन हेतु आवश्यक वास्तविक धनराशि	60%	30%	10%
5	प्रशासनिक चार्ज	कुल परियोजना लागत का 2% तक	60%	40%	0%
6	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु	भारत सरकार द्वारा निधारित धनराशि परिवार की संख्या के आधार पर	60%	40%	0%

प्रस्तर–31: कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र

निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव, ग्राम पंचायत तथा प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर सहायत विकास अधिकारी(पंचायत) / ब्लाक सैनीटेशन आफिसर को प्रस्तुत किया जायेगा। सहायत विकास अधिकारी(पंचायत) / ब्लाक सैनीटेशन आफिसर द्वारा निर्मित कार्यो का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने पर उसकी गुणवत्ता की जांच कर निर्धारित प्रारूप पर दिया जायेगा। कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र की तीन प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। एक प्रति ग्राम पंचायत में, एक प्रति क्षेत्र पंचायत कार्यालय में तथा एक प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेंगी। धनराशि का पूर्ण उपभोग कर लिये जाने के उपरान्त सचिव, ग्राम पंचायत तथा प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों से निर्धारित प्रारूप पर सहायत विकास अधिकारी(पंचायत) / ब्लाक सैनीटेशन आफिसर को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर विकास खण्ड का संकलित उपभोग प्रमाण–पत्र सहायत विकास अधिकारी(पंचायत) / ब्लाक सैनीटेशन आफिसर द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी / सदस्य सचिव, जिला स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। जनपद स्तर का संकलित उपभोग प्रमाण–पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश व महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या–173 / 33–3–2016–110 / 2012 दिनांक 19 जनवरी, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगें। तद्नुसार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करनें का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या: 649(1)/33–3–2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, माननीय मंत्री पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, वित्त, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, सूचना, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7– निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
8– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
9– महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
10– समस्त सदस्य, शीर्ष समिति स्टेट सैनीटेशन मिशन उत्तर प्रदेश।
11– समस्त सदस्य, कार्यकारी समिति स्टेट सैनीटेशन मिशन उत्तर प्रदेश।
12– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत), उत्तर प्रदेश।
14– समस्त सदस्य, जिला स्वच्छता समिति, उत्तर प्रदेश।
15– समस्त प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, उत्तर प्रदेश।
16– मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश।
17– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4/राज्य योजना आयोग–1/2
18– सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार दिल्ली।
19– संयुक्त सचिव, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पर्यावरण भवन, 12वां तल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, दिल्ली।
20– निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पर्यावरण भवन, 12वां तल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, दिल्ली।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।